संख्या 7/1/2018-ईओ (एमएम-।।)

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(स्थापना अधिकारी का कार्यालय)

नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली

दिनांक: 4 मई 2018

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

विषय:- **सीएसएस/गैर-सीएसएस पदों के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत अधिकारियों के पार्श्विक स्थानान्तरण (लैटरल शिफ्ट) के आधार पर केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति आयोग) में नियुक्ति।**

महोदय/महोदया,

केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत पार्श्विक स्थानान्तरण के आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति आयोग) में उप सचिव/निदेशक स्तर के 2 रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव है।

2. केंद्रीय स्टाफिंग योजना/गैर-केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उप सचिव/निदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारी इन पदों को भरने के पात्र लिए होंगे। यदि उस पद के लिए अधिकारी का चयन हो जाता है तो इसे 'पार्श्विक स्थानान्तरण' माना जाएगा जिसके लिए नीति आयोग में नियुक्ति के लिए अनुमेय विशेष सुविधा के अनुसार तीन वर्ष की अतिरिक्त कार्यावधि प्राप्त हो जाएगी जिससे नीति आयोग में स्थानान्तरण या नीति आयोग से स्थानान्तरण होने पर 8 वर्ष तक की प्रतिनियुक्ति अवधि प्राप्त हो जाती है। +3 विकल्प केवल उन्ही अधिकारियों को प्राप्त होगा जो सीएसएस/गैर-सीएसएस पद पर पहले से कार्यरत है। अतिरिक्त कार्यावधि, सीएसएस/गैर-सीएसएस पद पर वर्तमान कार्यावधि दो वर्ष पूरा करने एवं संवर्ग अनापत्ति प्राप्त होने के अध्यधीन होगी। संवर्ग अनापत्ति (+3 कार्यावधि के लिए) के प्राप्त न होने पर कार्यवधि को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यावधि के शेष चार/पांच वर्ष तक सीमित कर दिया जाएगा।

3. इस पद को प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय स्टॉफिंग योजना/गैर-केंद्रीय स्टॉफिंग योजना के अधीन उप सचिव/निदेशक अथवा समतुल्य स्तर पर कार्यरत अधिकारियों में परिचालित किया जाए। इस विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन, संवर्ग अनापत्ति (+ कार्यावधि हेतु), सतर्कता अनापत्ति संलग्न प्रार्फामा में विस्तृत बायोडाटा एवं सीएसएस/गैर सीएसएस के अधीन उस अवधि की अभिप्रमाणित एसीआर की प्रतियां, जब वे सीएसएस/गैर सीएसएस के अधीन कार्यरत थे, सहित ऐसे इच्छुक एवं योग्य अधिकारियों के नाम अग्रेषित किए जाएं जिन्हें मंत्रालयों/विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया जा सके।

4. अत: अनुरोध किया जाता है कि पात्र अधिकारी/अधिकारियों के आवेदन को ऐसे अग्रेषित करें कि वे दिनांक 01.06.2018 तक इस विभाग में जाए।

भवदीय,

4/5/18

(जे. श्रीनिवासन)

निदेशक (एमएम)

दूरभाष: 23092842

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. नीति आयोग [श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग] संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001